सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 9, गुरुवार, शाके 1934–मार्च 29, 2012 *Chetra 9, Thursday, Saka 1934–March 29, 2012*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 29, 2012

जी.एस.आर. 190:–भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के परामर्श से, राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2011 को और से प्रवृत हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची II का संशोधन.– राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009 से संलग्न अनुसूची II में,–

(i) शीर्ष "विशेष वेतन" के अधीन आयी विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

क्र. सं.	पद का नाम	विशेष वेतन की दर (प्रतिमास रुपयों में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	ग्रेड वेतन सं. 1 से 5 में के पद	160	विशेष वेतन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन स्वीकृत

1	2	3	4
2.	ग्रेड वेतन सं. 6 से 8 में के पद	200	किया जायेगाः– 1.विशेष वेतन संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन के संदर्भ में अनुज्ञेय होगा न कि उस सु.कै.वृ. के संदर्भ में जिसमें वह वेतन आहरित कर रहा हो। 2. विशेष वेतन ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञेय नहीं होगा जो सेवा के प्रारम्भिक प्रवेश पद पर अर्जेंट अस्थायी/तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं। 3. शीर्ष 'सामान्य' के अधीन अनुज्ञेय विशेष वेतन, यदि कोई हो, इस शीर्ष के अधीन अनुज्ञेय विशेष वेतन के अतिरिक्त होगा। 4. इस कार्यालय के संवर्ग के अधिकारियों/पदधारियों को उपलब्ध विशेष वेतन, उन्हें सरकारी विभागों में संवर्ग या संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की कालावधि के दौरान और पुनर्नियोजन की कालावधि के दौरान भी अनुज्ञेय होगा। परन्तु अन्य सरकारों/सरकारी विभागों या अन्यत्र सेवा में
3.	ग्रेड वेतन सं. 9 से 10 में के पद	240	
4.	ग्रेड वेतन सं. 11 और 12 में के पद	300	
5.	ग्रेड वेतन सं. 13 और 14 में के पद	350	
6.	ग्रेड वेतन सं. 15 और 16 में के पद	380	
7.	ग्रेड वेतन सं. 17 और 19 में के पद	525	
8.	ग्रेड वेतन सं. 20 में के पद	600	

1	2	3	4
			प्रतिनियुक्ति की कालावधि के लिए विशेष वेतन उस स्थिति में संदत्त नहीं किया जायेगा जब प्रतिनियुक्ति वेतन या उच्चतर वेतन संदत्त किया जाये।

''

(ii) शीर्ष ''विधान सभा सचिवालय में माननीय अध्यक्ष/माननीय उपाध्यक्ष/प्रतिपक्ष के नेता/ सरकारी मुख्य सचेतक/ सरकारी उप मुख्य सचेतक के कार्यालयों में पदस्थापित कर्मचारियों को विशेष वेतन।'' के अधीन आयी विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''

क्र. सं.	पद का नाम	विशेष वेतन की दर (प्रतिमास रुपयों में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य सचेतक/प्रतिपक्ष के नेता/ सरकारी उप मुख्य सचेतक के कार्यालयों में पदस्थापित साईकिल सवार/जमादार को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।	170	यह विशेष वेतन सामान्य विशेष वेतन के स्थान पर होगा।
2.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सरकारी मुख्य सचेतक/ प्रतिपक्ष के नेता/ सरकारी उप मुख्य सचेतक के कार्यालयों में पदस्थापित सहायक/वरिष्ठ लिपिक/ कनिष्ठ लिपिक।	300	
3.	अध्यक्ष के निजी सहायक के रूप में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/ सहायक/शीघ्रलिपिक/निजी सहायक/वरिष्ठ निजी सहायक।	450	

1	2	3	4
4.	उपाध्यक्ष / सरकारी मुख्य सचेतक / प्रतिपक्ष के नेता / सरकारी उप मुख्य सचेतक के निजी सहायक के रूप में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ लिपिक / सहायक / शीघ्रलिपिक / निजी सहायक / वरिष्ठ निजी सहायक ।	375	
5.	उप सचिव, राजस्थान विधान सभा के ग्रेड में माननीय अध्यक्ष का निजी सचिव।	600	
6.	माननीय अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सरकारी मुख्य सचेतक / प्रतिपक्ष के नेता / सरकारी उप मुख्य सचेतक का निजी सचिव जो आर.ए.एस. / आर.पी.एस. के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा हो।	550	
7.	माननीय उपाध्यक्ष / सरकारी मुख्य सचेतक / प्रतिपक्ष के नेता / सरकारी उप मुख्य सचेतक का निजी सचिव, उन व्यक्तियों को छोड़कर जो नियत वेतन के आधार पर नियोजित किए गये हों।	550	
8.	माननीय अध्यक्ष का निजी सचिव, उन व्यक्तियों को छोड़कर जो नियत वेतन के आधार पर नियोजित किए गये हों।	550	
9.	माननीय अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सरकारी मुख्य सचेतक / प्रतिपक्ष का नेता / सरकारी उप मुख्य सचेतक के विशिष्ट सहायक जो 7600/- रू. या उससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे हों ।	600	

"

[संख्या एफ.12(6)संसद / 2008]

राज्यपाल के आदेश से,

पंकज भण्डारी,

प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 29, 2012

G.S.R. 190.–In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor, after consultation with the Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, is hereby pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised pay) Rules, 2009, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised pay) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from 1st day of October, 2011.

2. Amendment of Schedule-II.- In Schedule –II appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised pay) Rules, 2009,-

(i) the existing table appearing under the heading "SPECIAL PAY" shall be substituted by the following, namely:-

"

S. No.	Name of Post	Rate of Special pay in Rs. per month	Remarks
1	2	3	4
1.	Posts in Grade Pay No.1 to 5	160	The grant of Special pay shall be subject to the following conditions:-
2.	Posts in Grade Pay No.6 to 8	200	1. Special pay shall be
3.	Posts in Grade Pay No.9 and 10	240	admissible with reference to the grade

1	2	3	4
4.	Posts in Grade Pay No.11 and 12	300	pay of the post held by the respective Government servant and not with reference to the ACP in which he may be drawing pay.
5.	Posts in Grade Pay No.13 and 14	350	
6.	Posts in Grade Pay No.15 and 16	380	
7.	Posts in Grade Pay No.17 to 19	525	2. The Special pay would not be admissible to the persons appointed on direct recruitment basis on initial entry post of the service on urgent temporary/ad-hoc basis.
8.	Posts in Grade Pay No.20	600	
			3. The Special pay admissible, if any, under heading 'General' shall be in addition to the Special pay admissible under this heading. 4. Special pay available to officers/officials borne on the cadre of this office would be admissible to them during the period of deputation to Government departments in cadre

1	2	3	4
			or ex-cadre posts and also during the period of re-employment. Provided that the Special pay shall not be paid for the period of deputation to other Governments/Government Departments or foreign service when deputation allowance or higher pay is paid.

"

(ii) the existing table appearing under the heading "Special pay to employees posted in the Offices of the Hon'ble Speaker/Hon'ble Deputy Speaker/Leader of Opposition/ Government Chief Whip/Deputy Government Chief Whip in the Assembly Secretariat." shall be substituted by the following, namely:-

"

S. No.	Name of Post	Rate of Special pay in Rs. per month	Remarks
1	2	3	4
1.	Class IV employees including cycle sawar/ Jamadar posted in the Offices of the Speaker/ Deputy Speaker/ Government Chief Whip/Leader of Opposition/ Deputy Government Chief Whip.	170	This Special Pay shall be in the lieu of common

1	2	3	4
2.	Assistant/UDC/LDC posted in the Offices of the Speaker/Deputy Speaker/ Government Chief Whip/ Leader of Opposition/Deputy Government Chief Whip.	300	Spec Pay.
3.	LDC/UDC/Assistant/Stenographer/Personal Assistant/Senior P.A. working as P.A. to Speaker.	450	
4.	LDC/UDC/Assistant/Stenographer/Personal Assistant /Senior P.A. working as P.A. to Deputy Speaker/Government Chief Whip/Leader of Opposition/ Deputy Government Chief Whip.	375	
5.	Private Secretary to the Hon'ble Speaker in the grade of Deputy Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.	600	
6.	Private Secretary to the Hon'ble Speaker/Deputy Speaker/Government Chief Whip/Leader of Opposition/ Deputy Government Chief Whip drawing pay in Senior Scale of RAS/RPS.	550	
7.	Private Secretary to the Hon'ble Deputy Speaker/Government Chief Whip/ Leader of Opposition/Deputy Government Chief Whip except those who are employed on fixed salary basis.	550	
8.	Private Secretary to the Hon'ble Speaker except those who are employed on fixed salary basis.	550	

1	2	3	4
9.	Special Assistant to the Hon'ble Speaker/ Deputy Speaker/Government Chief Whip/ Leader of Opposition/ Deputy Government Chief Whip drawing pay in G. P. Rs. 7600/- and above.	600	

"

[No. F. 12(6) Sansad/2008]

By Order of the Governor,

पंकज भण्डारी

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.